गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या /नियोजन अनुभाग/2025 दिनांक

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद महायोजना-2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में पायी गयी ड्राफ्टिंग सम्बन्धी त्रुटियों को शासकीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 18.06.2024 में दिये गये अभिमत के अनुसार महायोजना में त्रुटियों के संशोधन पर मा० प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 06.09.2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या 550/2025/8-3099/73/2025, दिनांक 25.03.2025 के क्रम में उक्त 65 त्रुटियों पर न्यूनतम अवधि हेतु जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

तत्क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत उक्त 65 त्रुटियों को मानचित्र पर दर्शित करते हुए दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 11.04.2025 तक जनसाधारण के अवलोकनार्थ स्वागत कक्ष-गा0वि0प्रा0 एवं चीफ को-आर्डीनेटर प्लानर, कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेल (NCR Cell), द्वितीय तल, नगर निगम, गाजियाबाद में प्रदर्शनी लगाते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये।

उक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त विभिन्न प्रकृति के आपत्तियों एवं सुझावों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए विधिक निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे प्राधिकरण सभागार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में आहूत की गयी है। जिन सम्मानित सुझावकर्ता/आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अपना प्रत्यावेदन प्रदर्शनी स्थल पर उपलब्ध कराया गया है, उन सभी से अपील है कि दिनांक 21.04.2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे उक्त बैठक में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। सूचीबद्ध आपत्तियों/सुझावों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त बैठक के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी महायोजना–2031 प्रारूप में पायी गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सूची

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
1	MO-01	श्री भगवान त्यागी एवं श्री कृष्ण त्यागी, मकान नं0 36, ग्राम–डूंडाहेड़ा, निकट ए0बी0ई0एस0 कॉलेज, गाजियाबाद। मो0 9350748069, मो0 9555757516	आवेदक द्वारा हापुड़–मोदीनगर रोड पर स्थित ग्राम–भोजपुर तहसील, मोदीनगर, गाजियाबाद के खसरा संख्या 1261द, 1261घ, 1262, 1263, 1264, 1586, 1591ग का भू–उपयोग कृषि से मिश्रित भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2	MO-02	श्री विजय कुमार एण्ड अंशुमन रावत, आर–2/177, राजनगर, गाजियाबाद। मो0 9711410000, 9899717280	आवेदक द्वारा दिनांक 17.06.2022 को पूर्व में प्रारूप महायोजना पर की गयी आपत्ति का संदर्भ देते हुए खसरा संख्या 1569, 1576एम, 1577एम, 1574, 1578, 1579, 1580, 1571, 1591ग, 1586, 1601 व 1598ग, ग्राम–भोजपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद के भूखण्ड का क्षेत्रफल 28.626 एकड़ भूमि हापुड़–मोदीनगर रोड के उपरान्त 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट को हटाकर उसका भू–उपयोग औद्योगिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3	GH-03	श्री अतुल गोयल, 202–203, हंस प्लाजा, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद। मो0 9810139498	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी गहनता से परीक्षण कर त्रुटियों को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4	GH-04	श्री शशि राठी, निवासी–बेगमाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद। मो0–9999300551	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि महायोजना 2021 की एनपीआर सड़क की चौडाई 100 मी0 एवं दोनो तरफ 30–30 मी0 हरित पट्टी दर्शायी गयी थी, परन्तु महायोजना–2031 में एनपीआर सड़क का ले–आउट प्लान विस्थापित कर 100 मी0 से 45.00 मी0 कर दिया गया हैं, और उसका स्थान भी बदल दिया गया है। ले–आउट प्लान में सड़क को लगभग 500 मी0 विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ सटी हुई ग्रीन बेल्ट को विस्थापित नही किया गया है, जिस स्थान पर पूर्व में एनपीआर रोड एवं हरित पट्टी की चौड़ाई 100+60 = 160 मी0 थी, उस स्थान पर केवल हरित पट्टी ही दर्शायी गयी है। हमारी भूमि से रोड़ तो हटा दी गयी हैं किन्तु ग्रीन बेल्ट को विस्थापित नही किया गया है। चूंकि सम्पूर्ण महायोजना–2031 में ग्रीन बेल्ट को चौड़ी सड़को के साथ लिया गया है या फिर हाईटेंशन लाईन के समानुपातिक लिया जाता है। जिस स्थान पर यह ग्रीन बेल्ट

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
			एन0एच0–58 ओर रेलवे लाईन के मध्य दर्शायी गयी है। वहां पर न तो कोई बड़ी रोड है और न ही कोई हाईटेंशन लाईन है। प्राधिकरण द्वारा अपने लाभ को देखते हुये 100 मीटर की रोड को 45.00 मी0 कर दिया है एवं ग्रीन बेल्ट को अनार्जित भूमि में ही रहने दिया जिससे स्थानीय किसानों की व्यक्तिगत हानि होगी, चूंकि ग्रीन बेल्ट में न तो कोई विकास कार्य हो सकता है और न ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है। दर्शायी गयी ग्रीन बेल्ट में कुछ भू–भाग पर कॉलेज एवं कैंसर हास्पीटल एवं कॉलेज का भी निर्माण हुआ है। ग्रीन बेल्ट को संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।
5	GH-05	इन्जी0 आशीष कुमार राघव ग्रुप ए0म0–1957778/15032021 ऑफिस–सी.एस, ज्ञानखण्ड–2, इन्दिरापुरम गाजियाबाद। मो0 9818404169, 9310379715	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी गहनता से परीक्षण कर त्रुटियों को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
6	MO-06	श्री तरूण जैन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डा0 केदार नाथ मोदी इन्सटीटयूट ऑफ फार्मासिटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, मोदीनगर। मो0–8791082201, 8791082250	आवेदक संस्था गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना–2031 (प्रारूप) पर वर्ष 2022 एवं मोदीनगर महायोजना–2021 पर वर्ष 2010 में मांगी गयी आपत्ति/सुझावों का उल्लेख करते हुए ग्राम–बेगमाबाद बुदाना के खसरा संख्या 1558/1, 1558/1, 1564, 1566/1, 166/2, 1568, 1569/1, 1569/1, 1569/1, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1576, 1604 एवं ग्राम–बिसोखर के खसरा संख्या– 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 932, 933, 934 पर संचालित शिक्षण संस्थान का भू–उपयोग 'पार्क एवं क्रीड़ास्थल' से 'शैक्षणिक सामुदायिक सुविधाएं/विश्वविद्यालय' में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।
7	GH-07	कृते उप्पल चढ्ढा हाई–टेक डवलपर्स प्रा0लि0, कार्यालय एन.एच.–24, वेवसिटी, गाजियाबाद मो0– 7838656758	आवेदक संस्था द्वारा प्रारूप महायोजना–2031 जो बोर्ड द्वारा दिनांक 30.04.2022 का आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनुमोदित की गयी थी, पर दिनांक 15.06.2022 एवं तदोपरान्त पुनः आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये जाने पर दिनांक 25.10.2023 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।आवेदक द्वारा अवतग कराया गया है कि गाजियाबाद महायोजना–2021 में हाईटेक हेतु दर्शित क्षेत्र में 2911.70 एकड़ क्षेत्रफल

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
			पर वेवसिटी का ले–आउट /तलपट मानचित्र वर्ष 2010 में स्वीकृत किया गया था तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि महायोजना–2021 में हाईटेक हेतु प्रस्तावित क्षेत्र प्रतिकात्मक है। इस क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क शासन के निर्देशानुसार देय होगा। हाईटेक क्षेत्र के भू–उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1135/आठ–1–2010–38 विविधि/10 दिनांक 23.04.2010 निर्गत है, जिसमें हाईटेक क्षेत्र को आवासीय भू–उपयोग माना गया है, जिसके दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन प्रभार देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि महालेखा परीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट सम्बन्धी उपरोक्त शासनादेश संख्या 1135/आठ–1– 2010–38विविधि/10 दि0 23.04.2010 पर विकासकर्ता को अवांछित लाभ दिये जाने तथा प्राधिकरण को रु0 401.30 करोड़ की हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में आपत्ति लगायी गयी है, जो सी.ए.जी. का प्रस्तर संख्या 7.1.1 बना। प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 में निर्णय लिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आपत्ति का अन्तिम निस्तारण में होने वाले निर्णय के अधीन विकासकर्ता से रु0 401.30 करोड़ की चल/अचल सम्पत्ति को प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रख डीपीआर/तलपट मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जाये। तद्क्रम में मैसर्स उप्पल चड्डा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित संशोधित डीपीआर/तलपट मानचित्र मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किये जो चुके हैं। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तर संख्या 7.1.1 का निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 11.11.2024 में किया जा चुका है। आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि शासकीय समिति की बैठक दिनांक 05.01.2022 के बिन्दु संख्या 1.5 में "सक्षम स्तर से स्वीकृत ले–आउट/ तलपट मानचित्रों पर महायोजना का प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे" तथा साथ ही शासनादेश दिनांक 23.04.2010, शासकीय समिति के कार्यवृत्त

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
			दिनांक 05.01.2022 एवं उच्च स्तरीय समिति के निर्णय दिनांक 30.01.2024 का उल्लेख करते हुए हाईटेक टाउनशिप ''वेवसिटी'' के स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्रफल 2911.70 एकड़ का भू–उपयोग हाईटेक क्षेत्र से आवासीय किये जाने के साथ महायोजना–2031 में दर्शित 854.70 एकड़ कृषि भू–उपयोग को भी पूर्व की भांति हाईटेक भू–उपयोग दर्शित करने का कष्ट करें।
8	GH-08	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दयानन्द सिंह, निवासी– 175, चिरंजीव विहार सै0–2, गाजियाबाद। मो0–9212707247	आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मैसर्स उप्पल चड्डा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप 'वेवसिटी' में भूखण्ड संख्या 792, सेक्टर–7 क्रय किया गया है, जिसका प्राधिकरण से स्वीकृत ले–आउट/तलपट मानचित्र के अनुसार आवासीय भू–उपयोग है जबकि गाजियाबाद महायोजना–2031 (प्रारूप) में कृषि दर्शाया गया है, जो स्वीकृत ले–आउट प्लान से भिन्न है। उक्त क्षेत्र को आवासीय दर्शाया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त आपत्ति का गाजियाबाद महायोजना–2031 में निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
9	GH-09	श्री यश सिंघल बी0ई0 (सिविल), सी0ई0 ए0एम0आई0ई0आई0 नं0–ए0एम0 1961694/10052022, मो0–9058882476	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी गहनता से परीक्षण कर त्रुटियों को ठीक कराया जाना उचित होगा, का अनुरोध किया गया है।
10	GH-10	श्री नरेन्द्र चौधरी, सचिव, जनहित इन्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड इन्फोर्मेशन, सोसईटी। मो0नं0 9350244468	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम– मटियाला, गाजियाबाद की भूमि खसरा संख्या 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 23, 24, 35 एवं 37 का 'कृषि' भू–उपयोग में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2010 को मानचित्र संख्या 1546/जीएमपी/संस्था/09–10 स्वीकृत किया गया है तथा गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना–2031 प्रारूप दिनांक 30.04.2022 पर पूर्व में मांगी गयी आपत्ति का उल्लेख करते हुए उक्त खसरा नम्बर का भू–उपयोग 'कृषि' से 'शैक्षिक' किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता / सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव / आपत्ति का विवरण
11	GH-11	श्री पुष्पेन्द्र रावत पुत्र श्री मांगेराम, ग्राम पसौन्डा, गाजियाबाद। वर्तमान पता– 2/81, राजनगर, गाजियाबाद। मो0 9811304599	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना–2031 (प्रारूप) पर पूर्व में आपत्ति दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 508, 509, 522, 523, 524 ग्राम–पसौण्डा, परगना–लोनी, जिला–गाजियाबाद के पूर्व निर्माण/फैक्ट्री पर हरित पट्टी के स्थान पर आवासीय व व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन का अनुरोध किया गया है।
12	GH-12	महासचिव, ए0बी0ई0एस0 इंजीनियरिंग कॉलेज, एन0एच0–24 विजयनगर, गाजियाबाद। मो0 8178793331	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि एन.एच.–24 पर ए.बी.ई.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज का मानचित्र/ शमन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। एन.एच.–24 के मार्ग के उपरान्त महायोजना–2021 में ए.बी.ई.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज के सम्मुख दर्शित ग्रीन बेल्ट को हटाते हुए उनके स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि का भू–उपयोग शैक्षणिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
13	GH-13	श्रीमती मधु गर्ग, निवासीः ।।। एफ–33/6, नेहरूनगर, गाजियाबाद। मो0 9810196654	आवेदिका द्वारा अवगत कराया गया है कि वह ग्राम–अर्थला, परगना–लोनी, जिला–गाजियाबाद के खसरा संख्या 1336 व 1338 कुल क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर के काश्तकार हैं। उक्त भूमि दिल्ली से मोहन नगर मुख्य मार्ग पर हज हाउस के लिए जो सर्विस रोड जाती है, उस पर स्थित है। संदर्भित भूमि के दाहिनी ओर हज हाउस की बाउण्ड्रीवॉल एवं हज हाउस निर्मित है तथा पीछे आबादी है। उक्त भूमि महायोजना–2021 में डूब क्षेत्र एवं हरित पट्टी में दर्शित है। महायोजना–2021 में न तो कोई बन्धा दर्शाया गया था और न ही हज हाउस दर्शाया गया था। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन करने का कष्ट करें।
14	GH-14	श्री प्रदीप कुमार गर्ग, निवासीः ।।। एफ–33/6, नेहरूनगर, गाजियाबाद। मो0 9810196654	आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या–01मि0, ग्राम–बोंझा, परगना–लोनी, तहसील व जिला–गाजियाबाद की भूमि जो मुख्य जी.टी. रोड पर स्थित है। प्रश्नगत भूमि हिण्डन मेट्रो स्टेशन के साथ पुश्ता रोड जो एलीवेटिड मेट्रो को जोड़ती है, पुश्ता रोड के अपोजिट स्थित है जिसका भू–उपयोग डूब क्षेत्र प्रस्तावित करना ठीक नहीं है। उक्त संदर्भित खसरा नम्बर 01मि0, ग्राम–बोंझा, परगना–लोनी, तहसील व जिला–गाजियाबाद का भू–उपयोग डूब क्षेत्र से आवासीय

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
			अथवा सामुदायिक सुविधा में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
15	GH-15	इंजी0 अंकित मलिक, आफिस नं. 05, ।। फ्लोर, बिल्डिंग नं0 71 नवयुग मार्केट, गाजियाबाद। मो0 7011586169	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी गहनता से परीक्षण कर त्रुटियों को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया है।
16	MO-16	अध्यक्ष, संकल्प इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ, कैम्पस 158, दुहाई, दिल्ली–मेरठ रोड, गाजियाबाद। मो0 9810117373	आवेदक द्वारा खसरा नं0 158क, 158ख, ग्राम–दुहाई पर निर्मित भवन पर वर्ष 2004–05 से संचालित शिक्षण संस्थान की भूमि को शैक्षणिक भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
17	MO-17	अध्यक्ष, संकल्प एजुकेशन सोसाइटी, कैम्पस 141, दुहाई दिल्ली–मेरठ रोड, गाजियाबाद। मो0 9810117373	आवेदक द्वारा खसरा नं0 139 ग्राम–दुहाई पर निर्मित भवन पर वर्ष 2004–05 से संचालित शिक्षण संस्थान की भूमि को शैक्षणिक भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
18	MO-18	अध्यक्ष, संकल्प इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कैम्पस 141, दुहाई दिल्ली–मेरठ रोड, गाजियाबाद। मो0 9810117373	आवेदक द्वारा खसरा नं0 140 व 141 ग्राम–दुहाई पर निर्मित भवन पर वर्ष 2004–05 से संचालित शिक्षण संस्थान की भूमि को शैक्षणिक भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।
19	GH-19	श्री नितिन त्यागी, निवासीः 8/53, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद। मो0 9810747362	आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि मास्टर प्लान–2031 ड्राफ्ट में हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन के समीप ग्राम–असालतपुर की तरफ नो कन्सट्रक्शन लाईन अत्यधिक विस्तृत है, जिसमें असालतपुर गांव की पारम्परिक व गांव की आबादी सहित कई ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित कर दिये गये हैं जो पूर्व से आवासीय एवं निर्माण कार्य वैद्य रूप से पूर्ण हो चुके हैं। उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की गजट अधिसूचना एस.आर.ओ.एस.आई. नं0–12 दिनांक 14.02.2007 के अनुसार वायु सेना स्टेशन के चारो ओर नो कन्सट्रक्शन जोन सीमा केवल 100 मीटर ही निर्धारित है। आवेदक द्वारा मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में दर्शायी गयी सीमा 100 मीटर तक संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।
20	GH-20	श्री रिषभ गौड़, पताः 28, नवयुक मार्केट, गाजियाबाद। मो0 9899282220	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी गहनता से परीक्षण कर त्रुटियों को ठीक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता / सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव / आपत्ति का विवरण
21	GH-21	श्री संजय राणा (अधिकृत हस्ताक्षरी प्लेनेट इन्फ्राटेक प्रा0लि0), पूर्व म0नं0 989, वर्तमान पता–1007, द्वितीय तल, सेक्टर–2, वेव सिटी, एन0एच0–24, गाजियाबाद। मो0 9012091222	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना प्रारूप–2031 पर दिनांक 28.06.2022 को प्राधिकरण में दर्ज आपत्ति सुझाव क्रमांक 440 जी.एच.–304 पर गठित समिति की संस्तुति एवं मा0 बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 06.09.2024 में लिये गये निर्णय / अनुमोदन के क्रम में यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रार्थी का पक्ष सुनने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाये।
22	MO-22	श्री संजीव कुमार गर्ग, अधिवक्ता, दि एस0के0एम0 हाउस, ।।बी–40ए, नेहरूनगर, गाजियाबाद। मो0 9810513897	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका पैतृक गांव, ग्राम–फतेहपुर, परगना–जलालाबाद, मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद आर. आर.टी.एस. के साउथ स्टेशन मेट्रो से 2.0 किमी0 पर स्थित होने तथा शहीद मेजर आशाराम त्यागी जी के नाम से जाने जाने वाले इस गांव में स्थित प्राचीन तालाब जो वर्तमान में अव्यवस्थित और गन्दा हो चुका है तथा प्रशासनिक निगरानी के अभाव में छोटा होने के दृष्टिगत उक्त तालाब का जीर्णोद्धार सरकारी संस्था / निजी संस्था / सी.एस.आर. फण्ड से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही मेरठ रोड गंग नहर के पास से निकलकर मेरठ रोड कादराबाद तक पहुंचने वाले बाईपास को समय से पूरा करने का उल्लेख किया गया है।
23	GH-23	श्री अजितपाल त्यागी, मा0 विधायक, 54, मुरादनगर विधानसभा, गाजियाबाद। पता–आर–1 / 86, निकट पैट्रोल पम्प, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद। मो0 9871862288	मा0 विधायक जी द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम–महरौली, पाण्डवनगर में 40 वर्ष पुरानी प्रस्तावित 45 मीटर रोड पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दो–तीन बार समीक्षा उपरान्त प्राकृतिक रूप से निर्णय लिया जा चुका है तथा इस प्रकरण में मा0 सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस आ चुके हैं तथा वर्तमान में केस संख्या 5841 / 2007 अनुज सिंघल एवं अन्य को ध्यान में रखते हुए इस 45 मीटर रोड को हटाकर किसानों के हित में यथावत् निर्णय लिये गये हैं। उसमें यदि कोई परिवर्तन का विचार होता है तो किसानों के साथ विचार–विमर्श होना अति आवश्यक है।
24	GH-24	श्री अतुल गोयल, 202, हंस प्लाजा, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद। मो0 9810139498	आवेदक द्वारा गाजियाबाद महायोजना–2031 (गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी) (प्रारूप) मानचित्र दिनांक 30.04.2022 में कंसलटेंट द्वारा की गयी 65 ड्राफ्टिंग त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर महायोजना का

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
			अवलोकन कर कतिपय स्थानों पर त्रुटियों को अंकित करते हुए आपत्ति दर्ज की गयी है तथा अनुरोध किया गया है कि महायोजना 2031 तैयार किये जाने वाली कंसलटेंट फर्म द्वारा पुनः परीक्षण कर अन्य त्रुटियों को भी ठीक किया जाना उचित होगा।
25	GH-25	शीतल त्यागी, निवासीः ग्राम–असालतपुर, गाजियाबाद। मो0 9999311618	आवेदिका द्वारा उल्लेख किया गया है कि मास्टर प्लान–2031 ड्राफ्ट में हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन के समीप ग्राम–असालतपुर की तरफ नो कन्सट्रक्शन लाईन अत्यधिक विस्तृत है, जिसमें असालतपुर गांव की पारम्परिक व गांव की आबादी सहित कई ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित कर दिये गये हैं जो पूर्व से आवासीय एवं निर्माण कार्य वैद्य रूप से पूर्ण हो चुके हैं। उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की गजट अधिसूचना एस.आर.ओ.एस.आई. नं0 12 दिनांक 14.02.2007 के अनुसार वायु सेना स्टेशन के चारो ओर नो कन्सट्रक्शन जोन सीमा केवल 100 मीटर ही निर्धारित है। आवेदक द्वारा मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में दर्शायी गयी सीमा 100 मीटर तक संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।
26	MO-26	अनुपमा गोयल, निवासीः ए–601, ला लैग्यून अपार्टमेंट, सैक्टर–54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव मो0 9810411588	आवेदक/आवेदिका द्वारा खसरा संख्या 550, ग्राम–कादराबाद, मोदीनगर का भू–उपयोग 'ग्रीन बेल्ट' से 'औद्योगिक' में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।
27	GH-27	श्री बृजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मैटल फोर्जिंग एसोसिएशन, सी–208, बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, साइट–1, गाजियाबाद। मो0 9810098648	आवेदक द्वारा गाजियाबाद शहर को बेहतर बनाने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव दिये गये हैं जैसे सड़कों, पार्कों चौराहों इत्यादि के नाम शहीदों के नाम पर रखने, प्रदूषण निवारण हेतु फॉगिंग प्वाइंट, सार्वजनिक यातायात की समुचित व्यवस्था, पार्कों एवं हरित क्षेत्रों को विकसित किया जाना, शहर से 5 से 7 किमी0 की दूरी पर छोटे–छोटे ट्रांसपोर्ट नगर, ई–चार्जिंग प्वाइंट, सी.एन.जी./पेट्रोल पम्प, सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं व छोटी गाड़ियो के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग की सुविधा, जिला पंचायत द्वारा लिये जा रहे विकास शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।
28	MO-28	श्री अविनाश मोदी, निवासीः कादराबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद।	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और उनकी पैतृक पारिवारिक जमीन कादराबाद, मोदीनगर में है।

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
		email:modigagan179gmail.com	जीडीए द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान 2031 में मोदी नगर के लिए प्रस्तावित 60 मीटर की हरित पट्टी के संबंध में मास्टर प्लान 2031 पर हमारी कड़ी आपत्ति है। एनएच–58 सड़क के दोनों तरफ सड़क के सामने 60 मीटर गहराई वाली हरित पट्टी के ऐसे प्रस्ताव के कारण हमारी भूमि की बहुत अधिक बर्बादी हो सकती है और मूल्य में भारी गिरावट आ सकती है, इसके अलावा सरकार को भी हरित पट्टी के कारण हमारी भूमि के मूल्य की बर्बादी के कारण सर्किल मूल्य की भारी मात्रा में हानि होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में मनोरंजनात्मक हरित क्षेत्र/हरित पट्टी आदि के स्थान पर 5 के फ्लोर एरिया अनुपात (दूर–दराज) के साथ आवासीय तथा मिश्रित भूमि उपयोग की व्यवस्था हो। यह भी अनुरोध किया गया है कि जीडीए आधुनिक उप नगर की स्थापना के लिए कादराबाद में सारी भूमि अधिग्रहित कर ले, ठीक उसी प्रकार जैसे मेरठ विकास विभाग कायस्थ गावड़ी आदि में भूमि अधिग्रहित कर रहा है और आधुनिक उप नगर की स्थापना कर रहा है।
29	GH-29	श्री विपिन कुमार, निवासीः म0नं0 135, ग्राम–महरौली, गाजियाबाद। मो0 9355453805	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–महरौली में एक सड़क का कार्य होना था किन्तु प्राधिकरण ने सर्वे कर सड़क के निर्माण हेतु यह कह दिया कि उक्त स्थान पर सड़क निर्माण होना आवश्यक नहीं है और न ही यहां निर्माण हो सकता है। अतः अनुरोध है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार न कराया जाये।
30	GH-30	श्री अरविन्द कुमार जैन, निवासीः 3ए/1438, गोल्फलिंक, लैण्डक्राफ्ट, एन.एच.–24, गाजियाबाद। मो0 9654212158	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–महरौली क्षेत्र से हापुड़ रोड पर एक सड़क लगातार 40 वर्ष से मास्टर प्लान में चली आ रही है। परन्तु पूर्व एन.एच.–24 को 16 लाईन बनाने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस सड़क के बनने व सम्भावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। हम सब निवासीयों द्वारा यह विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त रोड बननी ही नहीं चाहिए, का अनुरोध किया गया है।

क्र0 सं0	आपत्ति क्र0सं0	आपत्तिकर्त्ता/सुझावदाता का नाम व पता	सुझाव/आपत्ति का विवरण
31	GH-31	श्री अरविन्द मेहरा, मो0 8882399912	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–महरौली में लगभग 40 वर्ष पूर्व मास्टर प्लान में एक सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। किन्तु ग्राम महरौली में तेजी से विकास के चलते उक्त सड़क का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः अनुरोध है कि महरौली के निकट प्रस्तावित 45 मीटर सड़क को मास्टर प्लान से हटवाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।
32	GH-32	श्री अनिल कुमार अग्रवाल मो0 9910215008	आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद के मास्टर प्लान 2001 में डायमण्ड फ्लाई ओवर से पांडव नगर व रेलवे लाईन के निकट डासना औद्योगिक क्षेत्र तक 45 मीटर चौड़ी महायोजना रोड प्रस्तावित की गयी थी। उक्त 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड के स्थान पर पूर्व से ही भू–स्वामियों द्वारा पाण्डव नगर में फैक्ट्रियों, मकान, बैंकेट हॉल, स्कूल आदि का निर्माण किया हुआ है। अतः प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी महायोजना मार्ग को गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 से हटाने का अनुरोध किया गया है।